समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व अपील प्र0क्र0- अपील-2815/2018/कटनी/भू.रा

कालू उर्फ कलुआ
आत्मज स्व. रतना भूमियां
निवासी ग्राम लमतरा
तहसील व जिला कटनी म0प्र0 ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

1- श्री अभिषेक शर्मा पिता गिरधारीलाल शर्मा
निवासी सिल्वर टाकीज रोड,
कटनी जिला कटनी

2- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी ---- प्रत्यर्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 07.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28.5.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 1155/अपील /2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 23-3-18 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

तथ्य

1- यहकि अपीलार्थी के भूमिस्वामित्व की भूमि ग्राम लमतरा नं0बं0 21 प0ह0नं0 23/40 तहसील व जिला कटनी में खसरा कमांक 121/3 रकबा 0.14 हैक्टर को, भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो पाने के कारण तथा अपीलार्थी के पास शेष बची 9 एकड़ अन्य भूमि को अधिक उपजाउ बनाने के लिए गैर आदिवासी/प्रत्यर्थी कमांक 1 को विकय

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/2815/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1155 /अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-3-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम लमतरा नं0बं0 21 प0ह0नं0 23/40 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 121/3 रकबा 0.14 हैक्टर को, भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो पाने के कारण तथा अपीलार्थी के पास शेष बची 9 एकड़ अन्य भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए गैर आदिवासी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय किये जाने हेतु जिलाध्यक्ष से अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 25-7-17 द्वारा अपीलार्थी का भूमि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन विधि के अनुक्रम में न मानते हुए निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3- अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि आवेदक ने भूमि विक्रय हेतु मिथ्या कथन प्रस्तुत किये हैं, आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त लगभग 9 एकड़ भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/2815/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम लमतरा नं0बं0 21 प0ह0नं0 23/40 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 121/3 रकबा 0.14 भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	